पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या 51/2023 अनवान शोभाराम व अन्य बनाम महैन्द्र कुमार व अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 51/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/23

प्रार्थी :		अप्रार्थीगण :
1. शोभाराम पुत्र वक्ताराम आयु 60 वर्ष जाति घांची 2. प्रकाश उर्फ पुखराज पुत्र अचलाराम आयु 47 वर्ष जाति घांची निवासीगण नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली राज.	बनाम	1. महेन्द्र कुमार पुत्र अचलदासजी आयु 65 वर्ष जाति जैन 2. बरतीमल पुत्र सागरमल आयु 95 वर्ष जाति जैन निवासी नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली राज. 3. ग्राम पंचायत नाडोल पंचायत समिति देसूरी जिला पाली राज. 4. फूल कंवर पत्नी गुलाबसिंह सरपंच ग्राम पंचायत नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली राज. 5. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाडोल पंचायत समिति देसूरी जिला पाली राज. 6. मुकेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह राजपुरोहित आयु 42 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी सोनाणा तहसील देसूरी जिला पाली राज. 7. भूपेन्द्र सिंह जोधा पुत्र जयपालसिंह जोधा आयु 39 वर्ष जाति राजपुत निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली राज. 8. जतनो पत्नी अचलाराम आयु 75 वर्ष जाति सीरवी चौधरी निवासी नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत नाड़ोल पंचायत समिति देसूरी द्वारा मिसल संख्या 22/2022–23 प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 05.07.2023 व पट्टा संख्या 07 दिनांक 05.07.2023 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–प्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़

अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र माथुर

अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह राजपुरोहित

–:निर्णय:–

दिनांक: 13.05.2023

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में उनके द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम नाड़ोल चक। में स्थित खातेदारी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मिसल संख्या 22/2022–23 दिनांक 04.05.2022 को कायम कर बिना विधिक प्रक्रिया

CamScanner

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या 51/2023 अनवान शोभाराम व अन्य बनाम महैन्द्र कुमार व अन्य

अपनाये प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 05.07.2023 को लिया जाकर पट्टा संख्या 07 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी किया। जो विधि एवं कानुन के विपरित होने तथा क्षेत्राधिकार से परे होने से सरपंच ग्राम पंचायत नाडोल का प्रस्ताव संख्या 11 व पट्टा संख्या 07 निरस्त योग्य होने से उक्त पुनरीक्षण याचिका पेश की। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा निगरानी का मुख्य आधार क्षेत्राधिकार से परे तथा ग्राम पंचायत नाडोल को राजस्थान पंचायती राज. नियम, 1996 के नियम 173 और अधिनियम की धारा 107 क के तहत 37800 वर्गफीट (3512 वर्गमीटर) की भूमि का वाणिज्यिक पट्टा जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं होने से निगरानी में उल्लेखित आदेश मय प्रस्ताव व पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। निगरानी कर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी वर्णित किया कि उक्त भूमि के संबध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने तथा उक्त भूमि के पास ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, जिसमें प्रार्थी व अन्य लोगों को भूमि लीज पर दी गई थी, जिनके कैबिन चल रहे थे उनको बिना सुने ही पुनरीक्षणाधीन आदेश प्रस्ताव व पट्टा अवैध तरीके से तमाम तथ्यों को छिपाते हुए अप्रार्थीगण ने लाभ प्राप्ति के बदनियती से जारी किया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी निगरानी में यह भी वर्णित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैध तरीके से पट्टें प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 6,7 व 8 को भूमि का बेचान करते हुए विधिक अनुमति और प्रावधानों के विपरित तल और प्रथम मंजिल पर पार्किंग व 141 दुकानें, 12 फ्लेट, और होटल, फैमिली रुम, सिनेमा हॉल इत्यादि के मल्टी कॉम्पलेक्स बताते हुए दुकानों का बेचान किया गया है।

प्रस्तुत निगरानी में अप्रार्थी संख्या 1,2,7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे राठौड़ ने बिन्दुवार जवाब पेश किया

1. ग्राम नाडोल चक। तहसील देसूरी में सागर बाग के नाम से स्थित आवासीय सम्पति जिसके पडौस उत्तर में :– रास्ता रानी जाने का , दक्षिण में:– गुरा जोधराज रे बेरा रो जाव, पूर्व में :– खालासा भूमि व पश्चिम में :– खालासा भूमि पडौस की सम्पति 450X100 फीट नाप का पट्टा तत्कालीन जागीरदार घाणेराव के ठाकुर श्री लक्ष्मणसिंहजी द्वारा दिनांक 19.09.1951 को सागरमल , अचलचन्द, बस्तीमल, उम्मेदमल रा बेटा पोता के हक में जारी किया गया। इसी भूमि के उत्तर दिशा की ओर स्थित 8X450 फीट नाप की भूमि बाद में खरीदी गई। इस तरह 450X108 फीट नाप का पट्टा आवाासीय प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण के नाम जारी किया गया
2. इस प्रकार सागर बाग की भूमि का पट्टा प्राप्त करने के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिकारी होने से उनके द्वारा पत्रावली संख्या 22/2022–23 दिनांक 04.05.2022 को ग्राम पंचायत नाडोल में प्रस्तुत की। जिस पर दिनांक 05.07.2023 को ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा प्रस्ताव संख्या 11 के जरिये पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जारी किया गया। ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने के अधिकार नहीं होने से पत्रावली अनुमोदन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिला परिषद पाली को दिनांक 08.11.2022 को भेजी गई। जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली ने दिनांक 12.06.2023 को निर्देश जारी करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 व 2 के पक्ष में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किये जाने हेतु निर्देश दिये।
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिए पंचायत द्वारा निर्धारित राशि रुपये 36,40,096 अक्षरे छत्तीस लाख चालीस हजार छियाणवें रुपये जरिये रसीद संख्या 291 दिनांक 29.09.2022 को नाडोल पंचायत कोष में जमा कराये। राशि जमा के पश्चात् उपपंजीयक देसूरी के यहां दिनांक 06.07.2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 278 में पृष्ठ संख्या 156 के क्रम संख्या 202303193701907 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1104 के पृष्ठ संख्या 276 से 290 पर चस्पा किया गया। व बाद पंजीयन अप्रार्थी संख्या 01 व 2 के पट्टा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पंजीयन किये जाने के बाद अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 10.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 06 व 07 के पक्ष में 16,00,0000/– में बेचान की गई। जिससे प्रार्थीगण की रिवीजन याचिका खारिज योग्य है
4. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की प्रश्नगत प्रस्ताव में वर्णित सम्पति के अलावा भी पूर्व व पश्चिम दिशा में कदीम से निर्माणशुदा सम्पति रहीं है तथा प्रस्ताव में वर्णित सम्पति का पट्टा तत्कालीन ठाकुर लक्ष्मणसिंह जागीरदार घाणेराव द्वारा दिनांक 19.09.1951 को

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

जारी किया गया है जो आवारीय प्रयोजनार्थ जारी किये जाने के अधिकार जागीरदार घाणेराव को होने से जारी किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियम लागु होने से पहले से ही प्रश्नगत प्रस्ताव में वर्णित सम्पति का पट्टा जारी किया हुआ होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा पंचायत में निवेदन करने से ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा प्रकियाओं का पालन करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाली से दिनांक 12.06.2023 को स्वीकृती प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 05.07.2023 को प्रस्ताव संख्या 11 लिया जाकर पट्टा जारी किया गया।

इन बिन्दुओं के आधार पर निगरानी विधि रहित, आधारहीन, मिथ्या व गलत तथ्यों के आधार पर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 क ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र माथुर ने निगरानी याचिका का जवाब निम्नानुसार पेश किया।

1. ग्राम नाडोल मे स्थित सागर बाग व पास स्थित भूमि कुल 108X450 फीट नाप का इमारती पट्टा (आवासीय प्रयोजनार्थ) तत्कालीन घाणेराव ठाकुर श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा दिनांक 19.09.1951 को सागरमल, अचलचन्द, बस्तीमल, उम्मेदमल रा बेटा पोतरा निवासी नाडोल के हक में जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अपनी पट्टा शुदा आवासीय भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरण करवाने के लिए पत्रावली पेश की गई। जिस पर ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा पत्रावली संख्या 22/2022-23 दिनांक 04.05.2022 को दर्ज की गई। जिस पत्रावली पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव संख्या 11 लेकर सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को दिनांक 08.11.2022 को भेजी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 12.06.2023 से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत नाडोल को निर्देशित किया गया। जिस पर राशि 36,40,096/- प्राप्त कर वाणिज्यिक पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी किया गया।
2. ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा आवासीय पट्टा का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1956 के नियम 173 व धारा 107 क के तहत प्रार्थी के आवासीय भूमि 37800 वर्गफीट यानि 3512 वर्गमीटर के लिए सक्षम नहीं होने से पत्रावली प्राधिकृत अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को भेजी गई। जिनके द्वारा पत्रावली में तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर अनुमोदन करते हुए ग्राम पंचायत नाडोल को पट्टा जारी करने के निर्देश के साथ पत्रावली भेजी गई। जिसकी पालना में पट्टा जारी किया गया।

रिवीजनकर्ता को रिवीजन करने का विधि अनुसार कोई अधिकार नहीं होने से तथा प्रश्नगत प्रस्ताव व पट्टा पंचायत नियमों के तहत जारी होने से याचिका खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह राजपुरोहित द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अपनी आवासीय भूमि का पंचायत से वाणिज्यिक पट्टा कानूनी नियमों के तहत प्राप्त किया गया है। जिसमें कार्यलय जिला परिषद पाली के विधिक राय एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर की आज्ञा दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या क 4 मे वर्णित अनुसार ग्राम पंचायत आवेदक के प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों, साक्ष्यों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही आदेश जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 व 07 ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के भूमि खरीद की है तथा खरीदशुदा भूमि पर वाणिज्यिक परिसर का निर्माण कार्य चल रहा है जिससे निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत होने से उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थीगण श्री अमृत परिहार द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी गई कि ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा कायम मिसल संख्या 22/2022-23 दिनांक 04.05.2022 व प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 05.07.2023 विधि विरुद्ध होने से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर पट्टे को निरस्त किया जावे। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा निम्न कानुनी उद्धरण पेश कियेः-

1. (2015) 2 WLC (RAJ) 52

2. 2015 0 AIR (CC)915; 2014 4 DNJ 1606; 2015 2 RLW (Raj) 1659; 2015 2 WLC 52
3. 2013(1) RJT 433 RAJASTHAN HIGH COURT RAM KUMAR DHAKA VS. STATE OF RAJASTHAN AND ORS. S.B. CIVIL. WRIT PETITION NO. 2322 OF 2001 DECIDED ON 1ST FEB.,2013
4. 1999 DNJ {RAJ.}.] 672 RAJASTHAN HIGH COURT [S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 3086 OF1998; DECIDED ON 12.07.1999] PRESENT: HON'BLE JUSTICE B.J. SHETHNA NARAYAN LAL.........PETITIONER VERSUS STATE AND ORS. .... RESPONDENTS
5. 1999 DNJ [RAJ.] 674 RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH] [S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 5230 OF 1997; DECIDED ON 11.08.1999] PRESENT HON'BLE JUSTICE ARUN MADAN . JAGAN NATH PETITIONER VERSES THE BOARD OF REVENEU FOR RAJASTHAN, AJMER AND Anr. Respondents
6. 2018(2) RJT 1347 RAJASTHAN HIGH COURT HON'BLE JUSTICE Mr. Sandeep mehta . Usha (smt.) vs The state of rajasthan and Ors. S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 10962 OF 2012; S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 11176 OF 2012, 259 AND 260 OF 2013; DECIDED ON 13TH March, 2018.
7. Rajasthan high court Before, Sangeet Lodha, J. S.B. CIVIL Writ petition NO. 9054 OF 2014 . D/d. 04.03.2015 Raju cheeta petitioner Versus District Collector, Bhilwara & ors. Respondents
8. 2017(3) RJT 1995 RAJASTHAN HIGH COURT HON'BLE JUSTICE MR. VIJAY BISHNOI . GHEWAR CHAND & Anr. Vs. STATE OF RAJASTHAN & ORS. S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 8887 OF 2017 DECIDED ON 11TH AUG.,2017
9. 2010(2) RJT 1541 HIGH COURT HON'BLE JUSTICE SHRI VINEET KOTHARI . PRAGCHAND VS. STATE OF RAJASTHAN & Ors. S.b.Civil Writ Petition No. 549 of 2009 decided on 3rd aug., 2010
10. 2018(1)RJT 564 RAJASTHAN HIGH COURT HON'BLE JUSTICE MR. VIJAY BISHNOI . MOHAN KANWAR (SMT.) VS. The additional district Collector Pali &Ors. S.B. Civil Writ Petition No. 2752 of 1998 Decided on 2nd jan., 2018
11. (2017) 2 WLC (RAJ) UC 120 RAJASTHAN HIGH COURT SINGLE BENCH JHUMAR RAM APPELLANT VS. ADDITIONAL DISTT. COLLECTOR (SECOND), JODHPUR RESPONDENT BEFORE: Mr. sangeet Lodha. J) Civil Writ Petition No. 12692 of 2013 decided on : 09-05-2017
12. 2016(3) W.L.N. 318 : 2015 (87) R.C.R. (CIVIL) 745 RAJASTHAN HIGH COURT (JAIPUR BENCH) BEFORE: Mr. alok Sharma, j. S.B. CIVIL Writ PETITION NO. 21664 OF 2013. D/d. 10.03.2015 ASHOK &Ors. Petitioners. Versus State of Rajasthan&Ors. Respondents

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

13. 2007(3) W.L.N. 566: 2007 (12) R.C.R. (CIVIL) 60 RAJASTHAN HIGH COURT BEFORE: K.S. RATHORE, J. S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 6136 OF 2004,D/d . 25.07.2007. MOHMMED HUSSAIN KHATRI PETITIONER VERSES STATE OF RAJASTHAN AND Ors. Responedents
14. 2000 3 RLW (RAJ) 1539 RAJASTHAN HIGH COURT JAIPUR BENCH HONBLE J.C. VERMA.J. RAGHUNATH SINGH (DECEASED) THROUGHL.Rs. Appellant verses board of Revenue & Ors. Respondents S.B. Civil Writ Petition No. 67 of 1983 decided on February 04,2000

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई तथा बहस के दौरान पूर्व में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित आदेश दिनांक 23.01.2024 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे प्रस्तुत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2512/2024 में दिनांक 20.03.2024 को पारित आदेश से पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए निगरानी का चार सप्ताह में विधि अनुसार निर्णित किये जाने के निर्देश दिये है। जिससे प्रस्तुत लिखित बहस व प्रस्तुत कानुनी उद्धरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार प्रस्ताव संख्या 11 व जारी पट्टा संख्या 07 खारिज किये जाने की दलील दी।

अप्रार्थी संख्या 01, 02 ,07 व 08 के अधिवक्ता श्री भरत जे राठौड द्वारा बहस में उनके द्वारा निगरानी के जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी गई कि ग्राम नाडोल चक। में स्थित भूमि जो सागर बाग के नाम से जानी पहचानी जाती है का इमारत पट्टा घाणेराव ठाकुर श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा दिनांक 19.09.1951 को सागरमल, अचलचन्द, बस्तीमल, उम्मेदमल रा बेटा पोतरा निवासी नाडोल के हक में जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अपनी पट्टा शुदा आवासीय भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरण करवाने के लिए पत्रावली पेश की गई। जिस पर ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा पत्रावली संख्या 22/2022-23 दिनांक 04.05.2022 को दर्ज की गई। जिस पत्रावली पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव संख्या 11 लेकर सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को दिनांक 08.11.2022 को भेजी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 12.06.2023 से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत नाडोल को निर्देशित किया गया। जिस पर राशि 36,40,096/- प्राप्त कर वाणिज्यिक पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को नियमों के तहत ही उनकी आबादी भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के कभी खातेदार/मालिक नहीं रहे है प्रार्थीगण व अन्य आपत्तिकर्ता उक्त सागर बाग के पड़ौस में स्थित पंचायत की भूमि पर अतिक्रमी होने से पंचायत द्वारा इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। पंचायत की कार्यवाही को प्रार्थीगण व अन्य आपत्तिकर्ता द्वारा सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण का हक/स्वत्व नहीं रहा है। मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी पेश की है जो चलने योग्य नहीं होने खारिज किये जाने की दलील दी है

अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 के अधिवक्ता श्री दिनेशचन्द्र माथुर द्वारा बहस में प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी गई की अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा धारित आवासीय भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिये आवेदन ग्राम पंचायत नाडोल में प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा पत्रावली संख्या 22/2022-23 दिनांक 04.05.2022 को दर्ज की गई। जिस पत्रावली पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव संख्या 11 लेकर सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को दिनांक 08.11.2022 को भेजी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 12.06.2023 से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत नाडोल को निर्देशित

अति. जिला कलक्टर
पाली (पाली)

किया गया। जिस पर राशि 36,40,096/– प्राप्त कर वाणिज्यिक पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को नियमों के तहत ही उनकी आबादी भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं कर नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रस्ताव संख्या 11 के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 07 जारी किया गया है। निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जावें।

पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवं बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी उद्धरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर मनन किया गया एवं इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांकःएफ. 4(3)निर्दे/पट्टा/विधि/पंरा/2020/849 जयपुर दिनांक 30.09.2021 को जारी परिपत्र में वर्णित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन किय गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम नाड़ोल स्थित सम्पति सागर बाग का इमारती पट्टा तत्कालीन ठाकुर लक्ष्मणसिंह द्वारा दिनांक 19.09.1951 को सागरमल, अचलदास, हस्तीमल व उम्मेदमल रा बेटा पोता के हक में जारी होने तथा उत्तर दिशा की ओर 8X450 भूमि बाद में खरीद करने से 450X108 फीट नाप का आवासीय पट्टा जागीर समय का जारी था। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा पंचायती राज नियमों के तहत अपनी आबादी भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरण करवाने के लिए आवेदन ग्राम पंचायत नाड़ोल में किया गया। ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा पत्रावली कायम करते हुए प्रस्ताव संख्या 11 लिया गया तथा इस संबंध में पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 06 की पालना में पत्रावली जिला परिषद पाली को भिजवाई गई तथा उसके पश्चात् बिन्दु संख्या 07 व 08 में वर्णित निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक पट्टे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी किया गया। प्रार्थीगण उक्त सम्पदा के कभी भी मालिक नहीं रहे है जिससे प्रार्थीगण का उक्त सम्पदा के संबंध में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहता है। परन्तु फिर भी यह निगरानी पेश की है जिसमें पंचायत नियमों की अवहेलना को मुख्य आधार बनाया हैं परन्तु दिनांक 30.09.2021 के परिपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट रुप से प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना नहीं की गई। विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी उद्धरण हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों से मेल नहीं खाते है, जिससे प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

13/5/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली